



# कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।

## न्यायालय परिसर, मेड़ता।

Email - dlsa27merta@gmail.com

क्रमांक :- /जि.वि.से.प्रा.मे./ ०।

Phone - 01590-294039

दिनांक :- १२।२।२०२४, 2024

### विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार नागौर जिले में स्थित निम्नलिखित पंचायत समितियों पर स्थापित विधिक सेवा विलनिकों पर कार्य करने एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स का चयन कर पैनल तैयार करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 26.02.2024 को शाम 05.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं –

क्र.सं.	प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति का नाम	पंचायत समिति का नाम	रिक्त पैरालीगल वॉलेन्टियर पद
1	मेड़ता	मेड़ता	05
2		रियाबड़ी	04
3	नागौर	नागौर	10
4		मूण्डवा	02
5		खींवसर	01
6		परबतसर	03
7	डीडवाना	डीडवाना	04
8		मौलासर	01
9	मकराना	मकराना	04
10	डेगाना	डेगाना	03
11		भैरुन्दा	04
12	लाडनूं	लाडनूं	04
13	नावां	नावां	01
14	कुचामन	कुचामन	03
15	जायल	जायल	01
कुल			50

- (1) **शैक्षणिक योग्यता :** आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उतीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
- (2) **आवेदन पत्र :** इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्म में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र वेबसाईट <http://nagaur.dcourts.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
- (3) **चरित्र :** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (4) **शारीरिक योग्यता :** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वरूप होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

- (5) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :
- 1- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति ।
  - 2- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटोप्रति ।
  - 3- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।
  - 4- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए ।
  - 5- जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति ।
  - 6- आधार कॉर्ड की सत्यापित फोटोप्रति ।
- (6) चयन : प्राप्त आवेदनों की जांच पश्चात् सही पाये गये आवेदन पत्रों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा । जिसकी सूचना पृथक् से वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जावेगी ।
- (7) पत्र व्यक्ति : आवेदक कम से कम सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं इसके साथ निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं – सेवानिवृत् अध्यापक/राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू. छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, विधि छात्र (जब तक वे लायर वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., कलबृस, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, अच्छे व्यवहार वाला शिक्षित बंदी (लंबे समय की सजा का बंदी), अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे ।
- (8) आवेदन की अन्तिम तिथि : आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 26.02.2024 को सायं 5.00 बजे तक रहेगी । आवेदनकर्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता/संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में अंतिम तिथि तक आवेदन मेड़ता/संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं जमा करवा सकेंगे । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों की सत्यापित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- (9) चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (डयूटी) :
- 1- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधिक सेवा कार्य करना ।
  - 2- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
  - 3- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजरथन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यरथन व राजीनामा के जरिए वादो का निस्तारित किये जाने की जानकारी देना ।
  - 4- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना ।
  - 5- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना ।
  - 6- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
  - 7- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना ।

- 8— विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मिडियेशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- 9— पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में विधिक सेवा कार्यकरणों व शिविरों का आयोजन करना एवं उनकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देना।
- 10— पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जनकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, डाक-तार, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, वीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निरस्तारित होते हैं।
- 11— पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटैरियल को प्रचार व प्रसार करना।
- 12— पी.एल.वी. द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का इन्द्राज उपलब्ध करवाये गये रजिस्टरों में रखना व रिपोर्ट कार्यालय में समय पर प्रस्तुत करना।

(10) स्पष्टीकरण : यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को केवल उसी पंचायत समिति हेतु आवेदन करना है, जिस पंचायत समिति का वह निवासी हो व अपने आवेदन पत्र में पंचायत समिति का नाम आवश्यक रूप से अंकित करना है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा। सभी आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह किसी पद के विरुद्ध नियोजन या सेवा संबंधी कार्य नहीं हैं और पी.एल.वी के नाते किया गया चयन या दिया गया प्रशिक्षण कोई अधिकार सृजित नहीं करता है। पी.एल.वी का कार्य स्वैच्छिक विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा कर सामाजिक एवं विधिक जागृति में रुचिकर व्यक्तियों की स्वैच्छिक सेवा प्राप्त करना है। इस विज्ञप्ति के जरिये आवेदन या चयन या पीएलवी के रूप में कार्य करने से आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के साथ कोई सेवा संविदा नहीं मानी जायेगी।

*Vidyanand  
Sankha*

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
मेड़ता।

क्रमांक : ४३९ - ४५७

दिनांक : १२/०२/२०२४

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त तालुका।
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला नागौर/डीडवाना-कुचामन।
3. तहसीलदार समस्त जिला नागौर/डीडवाना-कुचामन।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला नागौर/डीडवाना-कुचामन।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता।
7. नोटिस बोर्ड, बार संघ समस्त तालुका।
8. नोटिस बोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय।
9. नोटिस बोर्ड, विभिन्न महिला संगठन.....
10. नोटिस बोर्ड जिला कारागृह नागौर/उपकारगृह मेड़ता/परबतसर/डीडवाना।
11. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता।

*Vidyanand  
Sankha*

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
मेड़ता।

## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता (नागौर)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्म तिथि.....
4. शैक्षणिक योग्यता .....
5. विशेष योग्यता .....
6. अनुभव .....
7. पुरुष/महिला .....
8. वर्ग (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी).....
9. पंचायत समिति का नाम जिसमें आवेदक  
सेवाएँ देने का इच्छुक हों .....
10. नजदीकी पंचायत समिति का नाम .....
11. निकटतम पुलिस थाना .....
12. रथायी पता .....
  
.....  
.....  
.....  
13. वर्तमान पत्राचार यता .....
  
.....  
.....  
.....  
14. दूरभाष/मोबाईल नंबर .....
15. ई-मेल .....
16. आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लम्बित हैं अथवा नहीं,  
यदि हैं तो उसका विवरण .....
17. आवेदक को कम्प्यूटर का ज्ञान हैं अथवा नहीं .....

सत्यापित  
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

-: सहमति पत्र :-

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
.....निवासी.....ने  
विज्ञप्ति एवं उसमें अंकित शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया हैं एवं आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य हैं। मैं विधिक सेवा केन्द्रों पर संचालित होने वाले कार्यों के लिए पैरालीगल वॉलेन्टियर (पीएलवी) की सेवाएँ देने बाबत् विज्ञप्ति अनुसार अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर